न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
19/2014/वाद पत्र	05.03.2014	07.06.2017

उनवान

बिरदीचन्द पिता गोमा खटीक निवासी शाहपुरा हाल मदनपुरा–सेवना तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1–2 शान्तिलाल, भैरूलाल उर्फ रामचन्द्र पिता नानूराम खटीक नि0 शाहपुरा
3– तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोक चन्द नोलखा : अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कस्बा शाहपुरा मे धूला खटीक अपने परिवार सहित रहते थे। धूला ने अपने जीवनकाल मे कस्बा शाहपुरा मे कुछ जमीन पर कब्जा किया। उक्त कब्जे वाली जमीन को धूला ने काफी धन व श्रमदिवस खर्च कर काबिल काश्त किया। धूला की मृत्यु के बाद दोनों पुत्र छीतर व लच्छु जी साथ साथ रहे। काश्त दोनो भाई मिलकर करते थे। छीतर बड़ा होने से व परिवार का मुखिया होने से उक्त जमीन छीतर ने अपने नाम अलोट करा ली जबकि छीतर के छोटे भाई लच्छू का भी कब्जा अलोटमेन्ट से पहले रहा था। छीतर की मृत्यु पहले हो गई थी। उक्त जमीन पर कब्जा उनके सगे छोटे भाई लच्छु का हो गया। व लच्छु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र लादु उक्त आराजी को बहैसियत मालिक के काबिज होकर काश्त कर रहा है। लादू के कोई औलाद नही थी। लादू की सेवा व देखरेख वादी ने पूरी लग्न व मेहनत से की। इस कारण लादू ने अपने जीवनकाल मे तारीख 22.11.1997 को गवाहों के सामने वसीयत पत्र राजीखुशी से पूरे होस हवास से स्वस्थ चित्त से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर गवाहों के सामने कर दिये व लादू के कहने से गवाहों ने भी उक्त वसीयत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। आ0न0 9996/7912 रकबा 0.06 है0 श्री लादू पिता छीतर खटीक के नाम दर्ज है। जो लादू को छीतर का पुत्र बताती है। कस्बा शाहपुरा मे छीतर पिता धूला के खातेदारी अधिकार की आराजी न0 4293 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा स्थित है जिसके नये नम्बर 8208 रकबा 0.58 है0 बने है। लादू की मृत्यु 01.02.1998 को हुई। वादी के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण 1 व 2 विवाद करने के कारण खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत पेश कर रहा है। प्रतिवादीगण बेदखल करने की धमकी दे रहे है इस कारण स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जा रहा है। अतः वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण 1 व 2 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 6 मे वर्णित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश बक्षावे। वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 व 2 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा 6 मे वर्णित आराजी जो वादी के कब्जे मे होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे किसी भी तरह की

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाधा प्रतिवादीगण स्वयं या परिवार के सदस्यों या नोकरों या ऐजेन्टो से उत्पन्न न करे व न करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.06.2014 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने अण्डर टेकिंग लिया। दिनांक 19.10.2015 तक प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से न तो अधिकार पत्र पेश किया व न ही जवाब दावा पेश किया गया जिससे उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर जवाब दावा बन्द किया जाकर प्रकरण जवाब पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 16.02.2016 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 22.11.2016 को प्रकरण मे निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र मे पेरा 6 मे वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ? —— जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी बाबत वादी प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? —— जिम्मे वादी
3. आया वसीयतनामा का कार्यक्षेत्र तहसीलदार का है। जिससे वाद खारिज योग्य है? —— जिम्मे पेरोकार सरकार
4. दादरसी।

दिनांक 21.03.2017 को वादी बिरदीचन्द का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। दिनांक 07.06.2017 को श्रवणलाल पिता मांगू खटीक, रामचन्द्र पिता मांगू खटीक के शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किये गये जो क्रमशः पी0डब्ल्यू0 – 2 व पी0डब्ल्यू0 – 3 है। बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों, राजस्व दस्तावेजात साबिक हाल जमाबन्दी, मिलान क्षैत्रफल व वसीयत पत्र के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं प्रकरण का भंली भांति अवलोकन किया गया। प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर तहसीलदार शाहपुरा के क्षैत्राधिकार का रिमाण्ड किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर सुनवाई का क्षैत्राधिकार तहसीलदार शाहपुरा का होने से वसीयत पत्र की सुनवाई पक्षकारान की उपस्थिति मे की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति व वसीयत पत्र की फोटोप्रति भेजी जाकर पालना हेतु लिखा जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

जलास श्री के0 आर0 खौड, आर0ए0एस0

रदीचन्द पिता गोमा खटीक निवासी शाहपुरा हाल मदनपुरा–सेवना तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1–2 शान्तिलाल, भैरूलाल उर्फ रामचन्द्र पिता नानूराम खटीक नि0 शाहपुरा

3– तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

मुकदमा नम्बर 19/2014 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण वसीयत से संबंधित होकर सुनवाई का क्षैत्राधिकार तहसीलदार शाहपुरा का होने से वसीयत पत्र की सुनवाई पक्षकारान की उपस्थिति मे की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार शाहपुरा को रिमाण्ड किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 06 सन् 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाडा)